न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—298/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/298)

1. श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री रोहित कुमार निवासी 70/120, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर जरिये अधिकार पत्रधारी श्री कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्व.श्री शिवदयाल गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 77/120, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।
2. रामेश्वर पुत्र श्री प्रताप जाति खटीक, निवासी 77/120, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश 12.03.2022 उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर , प्रकरण संख्या 9/2020.

उपस्थितः—

1. श्री शिशिर विजयवर्गीय, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री हरिसिंह गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—12.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 09/20201 में पारित आदेश के दिनांक 12.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 राज.भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर स्थित खसरा नम्बर 781 नवीन 964 की भूमि में से करीब 15 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर माना वल्द मंगला कौम भांबी का कब्जा था, जिसमें से दिनांक 23.12.1964 के आदेश से 11 बीघा भूमि माना वल्द मंगला को आवंटित की गई, जिसके आधार पर उसे दिनांक 15.04.1970 को गैर खातेदार अधिकार दियेगये। उक्त उक्त 15 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर तारबंदी कर काबिज चला आ रहा था। दिनांक 19.02.1998 को उक्त खसरा नम्बर 964 की 11 बीघा भूमि पर माना वल्द मंगला के गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। मंगला का निधन हो जाने से उसका विरासी नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 20.01.2006 को उसकी पत्नि यशोदा, बज्जा, मेधा, पन्ना, सोहन, नानू पिसरान माना व मीना,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लाली, पुत्रिया माना भांबी के नाम खोला गया। उक्त 11 बीघा भूमि में से मेघा पुत्र माना द्वारा अपना 1/8 हिस्सा बेचान किये जाने से मेघा के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 316 दिनांक 21.03.2007 से राजेन्द्र कुमार पुत्र सुखाराम जाति भांबी निवासी पुष्कर जिला अजमेर के नाम अंकन किया गया। माना के वारिसान बज्जा, पन्ना, सोहन, नानू निसरान माना मीना, लाली पुत्री माना व यशोदा पत्नि माना ने उक्त 11 बीघा भूमि में अपना 7/8 हिस्सा प्रार्थी संख्या 01 को विक्रय किया। जिसका नामान्तकरण संख्या 429 दिनांक 06.01.2009 को प्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज किया गया। राजेन्द्र कुमार पुत्र सुखाराम ने जो 1/8 हिस्सा मेघा से खरीदा वह प्रार्थी संख्या 02 रामेश्वर को विक्रय किया, जिसका नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 13.07.2010 को प्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण के पूर्व विक्रेता उक्त खसरा नम्बर 964 के अपने कब्जे की भूमि जिसमें उक्त विक्रय की गई भूमि भी सम्मिलित थी, करीब 15 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर काबिज चले आ रहे थे, जिसका कब्जा उन्होने प्रार्थीगण को संभला दिया। खातेदारी भूमि के अलावा शेष भूमि जो प्रार्थीगण के कब्जे में है वह राजस्व अधिनियमो के अन्तर्गत प्रार्थीगण के पूर्व विक्रेता व प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के है जिनको उक्त भूमि के कब्जे का नियमन/आवंटन कराये जाने योग्य है। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने तत्समय प्रचलित राजकीय नियमों के अन्तर्गत नियमन/आवंटन नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने उक्त समस्त भूमि की चार दीवार बनाकर तथा अपनी खरीदी भूमि में अपना निर्माण कर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि पर प्रार्थी संख्या 01 ने बिजली व पानी के लिए बोरिंग कराया हुआ है तथा सोलर भी लगा रखे है। अजमेर विकास प्राकरण के क्षेत्र मे पुष्कर सम्मिलित होने पर सिवायचक खाते की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम अन्तरिम कर दी गई। खसरा नम्बर 964 से नवीन खसरा नम्बर 1193/1362 की तरमीम नक्शें में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खाते में दिखाया गया, जबकि अग्रिम भाग प्रार्थीगण के कब्जें में गलत रूप से दिखाया गया, जबकि खसर नम्बर 781 के नवीन खसरा नम्बर 964 बना और वर्तमान खसरा नम्बर 1193 व 1193/1362 बनाये गये। राजस्व नक्शें में तरमीम करते समय प्रार्थीगण का जो वास्तविक कब्जा 11 बीघा भूमि पर था तथा जिस पर प्रार्थीगण का निर्माण किया हुआ है को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम में दिखाया गया। उक्त गलत तरमीम के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने तहसीलदार, पुष्कर को प्रार्थना–पत्र भूमि की तरमीम बाबत दिया, जिस पर तहसीलदार, अजमेर को जॉच करने के बारे में लिखा गया। तहसीलदार द्वारा जॉच कर प्रार्थीगण को कब्जे का नजरी नक्शा बनाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने नक्शें में संशोधन करने से सम्बन्धित कार्यवाही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल कार्यवाही समाप्त कर दी। जिसकी कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं दी गई। दिनांक 17.07.2020 को तहसीलदार, पुष्कर द्वारा खसरा नम्बर 1193/1362 व खसरा 1223 अजमेर विकास प्राधिकार व वन विभाग की भूमि बताते हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध में जॉच हेतु सूचना पत्र दिया गया। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अपने आक्षेप जिला कलक्टर, अजमेर को दिनांक 20.07.2020 को देते हुए उसकी प्रतिलिपि तहसीलदार, पुष्कर को दी गई थी, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई व गलत नक्शें के आधार पर दिनांक 22.07.2020 को तहसीलदार, पुष्कर ने उक्त जॉच कार्यवाही की। अप्रार्थी संख्या 01 के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 22.07.2020 को मौके पर धमकी देकर प्रार्थीगण को उनका निर्माण हटा लेने व हटाये जाने के लिए कहा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जिससे प्रार्थीगण को यह विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 01 किसी भी समय प्रार्थीगण के कब्जे की उक्त भूमि में प्रार्थीगण के निर्माण सोलर आदि को तोड़कर प्रार्थीगण को क्षति पहुँचाते हुए प्रार्थीगण को बेदखल कर सकता है, जबकि प्रार्थीगण वक्त खरीद से तथा उसके पूर्व उनके विक्रेता लगातार वर्ष 1964 के पूर्व से उक्त भूमि पर शांति पूर्ण काबिज काश्त चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराये जाने बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अन्तरिम स्थगन पर सुनवाई करते हुए उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने प्रार्थीगण के तथ्यों को मानते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण मानते हुए दिनांक 07.08.2020 को अन्तरिम स्थगन जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम होने से प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं होने प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया केवल मात्र एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 12.08.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के द्वारा प्रकरण संख्या 9/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1193/1362 की भूमि पूर्व खसरा नम्बर 964 का ही भाग रही है तथा मौके पर पटवारी कानस द्वारा दिनांक 24.09.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट के साथ सलंग्न नक्शें के अनुसार अपीलार्थीगण अपनी क्रयशुदा आराजी पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 1193/1362 राजस्व नक्शें में जिस स्थान पर दर्शित किया गया है उस स्थान पर प्रार्थीगण का पक्का निर्माण आदि हो रहा है, ऐसा स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर प्रार्थीगण के निर्माण को क्षति कारित की जा सकती है जिससे अपीलार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना निरन्तर बनी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व विक्रेता से उक्त खसरा नम्बर 964 की भूमि क्रय की गई थी जिसमें कुल 15 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर बरवक्त खरीद से प्रार्थीगण का कब्जा अधिकार चला आ रहा है। खसरा नम्बर 781 के नवीन खसरा नम्बर 964 बना और वर्तमान नम्बर 1193 व 1193/1362 बनाये गये। खसरा नम्बर 1193/1362 की तरमीम नक्शें में गलत करते हुए प्रत्यार्थी संख्या 01 के नाम खाते में दिखाया गया गया तथा अग्रिम भाग प्रार्थीगण के कब्जे में दिखाया गया। जबकि प्रार्थीगण का जो वास्तविक कब्जा 11 बीघा भूमि पर पर है तथा जिस पर प्रार्थीगण का निर्माण किया हुआ है, उसे न दिखाते हुए अन्य भाग को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में व गलत नक्शें इन्द्राजत के अुनसार अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्शित कर दिये जाने से प्रार्थीगण का जो निर्माण व कब्जा है उसे अप्रार्थी संख्या 01 बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने ढ़ग से ध्वस्त किये जाने पर आमादा हो रहें है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि तथा विधिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल जाते हुए पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.01.2022 को सरकार का जवाब मानते हुए प्रकरण में सभी पक्षकारों की उपस्थिति नहीं होने के बाजवूद भी एक तरफा बहस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

हेतु दबाव डालते हुए उक्त प्रकरण में निर्णित कर दिया, विधिनुसार अप्रार्थी संख्या 02 का कोई जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का पेश नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र व उसमें वर्णित तथ्य अप्रार्थी संख्या 02 के परिप्रेक्ष में अखण्डनीय रहे, जिन्हे नहीं मान कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। उपलब्ध दस्तावेज व विधि के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था जिसे निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है तथा उसे अपूर्तनीय क्षति हो रही है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर भूल की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2020 बउनवान श्रीमती आशा देवी व अन्य बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 निरस्त करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकार प्रत्थ्यार्थी/अप्रार्थी को उनके कर्मचारी, प्रतिनिधियों, असाईनीज, आदि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करे कि वे वाद के निर्णय तक वर्णित भूमि पर अपीलार्थीगण के कब्जे में कोई दखलंदाजी न करें, अपीलार्थीगण को उसके कब्जे से बेदखल नहीं करे, उक्त आराजी पर अन्य रहन, बय व अन्तरण नहीं करे व करावें तथा अपीलार्थीगण के निर्माण, बिजली, पानी का बोरिंग, सोलर आदि को किसी प्रकार की तोड़फोड आदि कर क्षति नहीं पहॅचायें।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम कानस तहसील पुष्कर की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 1193/1362 रकबा 0.71 है0 जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश के द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है, जिसके सम्बन्ध में अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 प्रावधानो के तहत् कार्यवाही का अधिकारी प्राधिकरण में निहित है। प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। राजस्व ग्राम कानस तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नम्बर 1193/1362 किस्म बारानी 02 कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांकःकअ/राजस्व/एफ.12(सी)/13/288 दिनांक 27.09.2013 द्वारा सिवायचक से अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तांतरण भूमि है जिसकी प्रति सलंग्न प्रेषित है, भूमि के सम्बन्ध में सभी अधिकार प्राधिकरण के पास है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1193/1362 भूमि वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज होने के कारण प्रर्थम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. राजकीय अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट संख्या 02) ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपील पर की गई बहस को हमारी बहस मानी जावें।

7. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लम्बित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जवाब का बिना समुचित रूप से अवलोकन किये सरसरी तौर से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों मूलभूत सिद्धान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिना विस्तृत व्याख्या कर सरसरी तौर पर उक्त आदेश दिनांक 12.08.2022 पारित कर दिया जो कि किसी भी प्रकार से विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील बाबत्

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो मूल घटक का निस्तारण इस प्रकार से किया जाता है 1. प्रथम दृष्टया प्रकरण– ग्राम कानस, तहसील पुष्कर जिला अजमेर मे अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 781 के नवीन खसरा नम्बर 964 रकबा 15 बिघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी बाबत माना वल्द मंगला का कब्जा चला आरहा था जिसमें से दिनांक 23.12.1964 को 11 बीघा भूमि का आवंटन माना वल्द मंगला को किया गया उक्त आवंटन के आधार पर उसे दिनांक 15.04.1970 को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये परन्तु आवंटी 15 बीघा 7 बिस्वा 10बिस्वांसी आराजीयात बाबत मौके पर तारबंदी कर काबिज चला आ रहा था दिनांक 19.02.1998 को उक्त खसरा नम्बर 964 की 11 बीघा भूमि बाबत आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा खातेदार के निधन के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसानों के नाम तस्दीक कर दिया गया तथा उक्त 11 बीघा भूमि में से मेघा पुत्र माना द्वारा अपना 1/8 हिस्सा राजेन्द्र कुमार पुत्र सुखाराम को बेचान कर दिया गया जिसका नामान्तरकण 316 दिनांक 21.03.2007 को कर दिया गया तथा शेष 7/8 हिस्सा माना के विधिक वारिसानों द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को विक्रय कर दिया गया, जिसका नामान्तरकण सख्या 429 दिनांक 06.01. 2009 को प्रार्थी संख्या 1/अपीलांट के नाम दर्ज कर दिया गया तथा राजेन्द्र कुमार पुत्र सुखाराम के 1/8 हिस्से को प्रार्थी/अपीलांट संख्या 02 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर लिया गया जिसका नामान्तरकण संख्या 476 दिनांक 13.07.2010 को तस्दीक कर दिया गया इस प्रकार से अपीलांट उक्त आराजीयात बाबत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में वर्तमान जमांबदी में दर्ज चले आ रहे है। तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा 18.09.2012 को संबंधित तहसीलदार के समक्ष अपनी उक्त आराजीयात बाबत नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस बाबत दिनांक 24.09.2012 को संबंधित पटवार हल्का कानस द्वारा विवादित आराजीयात बाबत मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई जिसमें प्रार्थीगण/अपीलांट का उक्त आराजीयात का कब्जा काश्त एवं निर्माण का अंकन किया है तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा दौराने सेंटमेंट वर्किंग नक्शा ट्रेस से आधार भूत(नया) नक्शा ट्रेस मुर्तिब करते समय किस प्रकार से त्रुटि कारित की है इस प्रश्न का अवधारण/विनिश्चय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लम्बित राजस्व वाद में प्रतिवादीगण के जवाबदावा, साक्ष्य एवं बयान लिये जाने के उपरांत किया जाना है, इस प्रकार से प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात बाबत स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना चाहिए था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी विधिक त्रुटि कारित की है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है 2. अपूर्णीय क्षति– विवादित आराजीयात बाबत संबंधित पटवारी कानस द्वारा दिनांक 14.09.2012 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी/अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित राजस्व वाद के बिना निस्तारण किये बेदखल जैसी कार्यवाही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति अपीलांट/प्रार्थी को होगी इस प्रकार से उक्त अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में पाया जाता है। 3. सुविधा का संतुलन– चूंकि अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने उक्त राजस्व वाद के माध्यम से अपनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात बाबत बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग नक्शा ट्रेस से आधारभूत नक्शा(नया) ट्रेस मुर्तिब किये जाने में हुई त्रुटि का निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया है। जिसका निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है इस प्रकार से उक्त आराजीयात में अपीलांट/प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात भी सम्मिलित है इस प्रकार से सुविधा का संतुलन भी प्राथी/अपीलांटस के पक्ष में पाया जाता है। उपरोक्त परिपेक्ष्य के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में पाये जाने के कारण न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 09/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2022 को निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय से अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं उक्त आराजी का अन्यत्र रहन, बय हंस्तारन्तरण नही करने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर